प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2023

विषय: राजकीय वायुयान बी-200/200 जी0टी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 प्रवीण किशोर कै0 पवन गुप्ता, कै0 मोहित चतुर्वेदी तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को विभिन्न तिथियों में मेसर्स बी0बी0के0एफ0पी0 ट्रेनिंग सेन्टर (इण्डोनेशिया सरकार द्वारा अप्रूव्ड) से सम्बद्ध फर्म मेसर्स अरालिडा, इण्डोनेशिया से रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44/ना0उ0वि0उ0प्र0/आप्स-50/2023, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 में किए गए प्रस्तावानुसार राजकीय वायुयान बी-200/200 जी0टी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 प्रवीण किशोर कै0 पवन गुप्ता, कै0 मोहित चतुर्वेदी तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को विभिन्न तिथियों में मेसर्स बी0बी0एफ0पी0 ट्रेनिंग सेन्टर (इण्डोनेशिया सरकार द्वारा अप्रूव्ड) से सम्बद्ध फर्म मेसर्स अरालिडा, इण्डोनेशिया से रिकरेन्ट ट्रेनिंग दी जानी है|

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय वायुयान किंग एयर बी-200/बी-200 जी0टी0 वायुयान के सिमुलेटर पर अरालिडा, इण्डोनेशिया की ट्रेनिंग फैसिलिटी में कै0 प्रवीण किशोर, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 29 मई, 2023 से 05 जून, 2023 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस), कै0 पवन गुप्ता, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 29 मई, 2023 से 05 जून, 2023 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस), कै0 मोहित चतुर्वेदी, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 01 अगस्त, 2023 से 08 अगस्त, 2023 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) एवं कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 01 अगस्त, 2023 से 08 अगस्त, 2023 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) तक रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराए जाने के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 7,77,000/- (9250.00 यू0एस0डी0 प्रति पायलट की दर से जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 84/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से) अर्थात 04 पायलट हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 31,08,000/- का अग्रिम भुगतान करने तथा प्रशिक्षणार्थी के विदेश यात्रा में होने वाले अनुषांगिक व्यय (वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं यात्रा भत्ता के मद में) के रूप में धनराशि रू0 17,59,040/- (रू0 4,39,760/-प्रति पायलट की दर से) का अग्रिम भुगतान करने अर्थात् कुल रू0 48,67,040/-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये अड़तालीस लाख सरसठ हजार चालीस मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च , 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त के अतिरिक्त श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स बी0बी0के0एफ0पी0 ट्रेनिंग सेन्टर (इण्डोनेशिया सरकार द्वारा अप्रूव्ड) से सम्बद्ध फर्म मेसर्स अरालिडा, इण्डोनेशिया द्वारा कै0 प्रवीण किशोर, कै0 पवन गुप्ता, कै0 मोहित चतुर्वेदी तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) के प्रशिक्षण की तिथियों में किसी प्रकार के परिवर्तन /संशोधन की दशा में (निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (04 दिन) तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा) कै0 प्रवीण किशोर, कै0 पवन गुप्ता, कै0 मोहित चतुर्वेदी तथा कै0 कमलेश्वर सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) पायलटगण को ट्रेनिंग की संशोधित तिथियां - प्राप्त होने के उपरान्त ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने के लिये निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत करने के

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करते हैं। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (04 दिन) तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स बी0बी0के0एफ0पी0 ट्रेनिंग सेन्टर (इण्डोनेशिया सरकार द्वारा अप्रूव्ड) से सम्बद्ध फर्म मेसर्स अरालिडा, इण्डोनेशिया को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स बी0बी0के0एफ0पी0 ट्रेनिंग सेन्टर (इण्डोनेशिया सरकार द्वारा अप्रूव्ड) से सम्बद्ध फर्म मेसर्स अरालिडा, इण्डोनेशिया को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

10- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

4/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-57/2023/566(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित पायलट।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।